



कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) भारत सरकार  
**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



**मुख्यालय/Headquarters**

पंचदीप भवन| सीआईजी मार्ग| नई दिल्ली-110002  
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi- 110002  
Email: [dpc-medhq@esic.nic.in](mailto:dpc-medhq@esic.nic.in)  
Website: [www.esic.nic.in](http://www.esic.nic.in) / [www.esic.in](http://www.esic.in)

A-33012/1/2024-DPC(M)

Date: 30/10/2024

**कार्यालय आदेश संख्या 09/2024**

पुनरीक्षण विभागीय पदोन्नति समिति (D.P.C.) की अनुशंसा के आधार पर, अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने जी.डी.एम.ओ. उप संवर्ग में, वेतनमान लेवल-13 में मुख्य चिकित्सा आधिकारी (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड) पद पर कार्यरत निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारी को वेतनमान लेवल-14 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) पद पर, दर्शाई गई तिथि के अनुसार पदोन्नति (अविभावी प्रावधान/ योजना, निगम के भर्ती विनियमों आदि के अंतर्गत) के आदेश दिए हैं:-

On the recommendations of the Review Departmental Promotion Committee (D.P.C.), Chairman, Employees' State Insurance Corporation has ordered the promotion of the following Medical officers in GDMO Sub-cadre, working as Chief Medical Officer(Non-Functional Selection Grade) in level 13 of pay matrix to the post of Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade) in level 14 of pay matrix (under prevailing Provisions/Scheme, Recruitment Regulations of ESIC etc.) from the date shown against her name: -

संख्या Sl No.	नाम, पहचान संख्या & तैनाती स्थान Name, Emp. ID & PoP	पूर्वघोषित पदोन्नति तिथि Date of Promotion Declared earlier	परिशोधित पदोन्नति तिथि Revised date of Promotion	पूर्व में जारी आदेश 03/2020 में क्रम संख्या Sl No. in the order 01/2020 issue earlier
1.	Dr. S K Geetha, 112852 & ESICH KK Nagar, Chennai	16/12/2018	16/06/2018	9

उक्त आदेश (01/2020) की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

Rest of the conditions as mentioned in the said order (01 of 2020) will remain same.

(राजेश प्रसाद गुप्ता)  
सहा. निदेशक (विभागीय पदोन्नति प्रकोष्ठ)  
(डी.पी.सी.चि.-चि.प्र)

**प्रतिलिपि :- (ESIC website के माध्यम से—आवश्यक कार्रवाई हेतु)**

1. संबंधित चिकित्सा अधिकारी को उनके नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से।
2. संबंधित चिकित्सा अधीक्षक/डीन, क.रा.बी.निगम अस्पताल/मेडिकल कॉलेज।
3. संबंधित क्षेत्रीय निदेशक।
4. संयुक्त निदेशक (वित्त)/उप निदेशक(वित्त) संबंधित, क.रा.बी.निगम अस्पताल।
5. चिकित्सा शाखा-IV/ चिकित्सा शाखा-VI।
6. गार्ड फाईल/अतिरिक्त प्रतियां।